मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 20–35/2010/बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 09/01/2012

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय :– उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना बिन्दु कमांक 15.1
संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2010

उक्त आदेश द्वारा उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना 2010 प्रसारित की गई थी योजना की वर्तमान कंडिका कमांक 3 (6) के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

कंडिका क्रमांक 3.(6) –

वित्तीय संस्थान से अभिप्रत है मध्यप्रदेश वित्त निगम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का सं 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का सं 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,(समानुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 (1959 का सं 38) के अधीन यथा परिभाषित कोई समानुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपकमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970का सं 5) के अधीन गठित किया गया तत्स्थानी नवीन बैंक, अथवा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं 1) की धारा 4–क के अधीन यथा विर्निदिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था अथवा ऐसी अन्य संस्था जिसे राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु अधिकृत किया जाये।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 की धारा 30 के अंतर्गत अधिकृत वित्तीय संस्था ।

3/ वित्त विभाग में यू.ओ. कमांक 6/935/2012/ब–2/चार, दिनांक 4.1.2012 से सहमति प्रदान की है।

4/ कृपया संशोधन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

R.lettr.heagr